संख्या-1284/65-2-2008-133(विविध)/2008

प्रेषक,

प्रशान्त कृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) मण्डलायुक्त,
मेरठ, फैजाबाद, गोरखपुर, एवं लखनऊ।

(2) जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, सुल्तानपुर,
गोरखपुर, सीतापुर एवं रायबरेली ।

विकलांग कल्याण अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 30 जून, 2008

विषय : ई-गवर्नेन्स योजनान्तर्गत प्रदेश के 06 जनपदों-गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, सुल्तानपुर, गोरखपुर, सीतापुर एवं रायबरेली के पात्र विकलांग व्यक्तियों को विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत प्रक्रिया का निर्धारण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जन सामान्य को किफायती, पारदर्शी तथा सहज-सुलभ रीति से सेवाएं उपलब्ध कराना उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है । भारत सरकार के राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत ई-डिस्ट्रिक्ट की परिकल्पना की गयी है, जिसके अन्तर्गत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की सहायता से इस विभाग की पेंशन योजना को सुव्यवस्थित तरीके से लागू किया जाना है । प्रथम चरण में इसके क्रियान्वयन हेतु आपके जनपद को चयनित किया गया है ।

2- विकलांग एवं असमर्थ/विपन्न व्यक्तियों को मासिक विकलांग पेंशन के रूप में रू0 300/- प्रतिमाह की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए विकलांग जन कल्याण विभाग द्वारा विकलांग पेंशन योजना संचालित है । ऐसे विकलांग जन, जिनकी आय शासन द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत हो अथवा जिनके पास स्वयं की कोई आय नहीं है अथवा कानूनी रूप से उनकी देख-रेख के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के पास आय का कोई स्रोत नहीं है इस योजना के लिए पात्र होंगे । विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य विकलांग जन की समाज में स्थिति को सुदृढ़ करना है तथा उनके जीवन को सम्मान, प्रयोजन पूर्ण तथा शान्ति के साथ बिताने में सपोर्ट करना है । ई-गवर्नेन्स योजनान्तर्गत ग्रामीण एवं नगरीय भागों में विकलांग पेंशन हेतु आवेदन की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी :-

---2/-

ग्रामीण क्षेत्र आवेदन :-

(1) सर्वप्रथम आवेदक सामान्य सेवा केन्द्र (सी०एस०सी०) में जाकर विकलांग पेंशन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र भरेगा । उसमें अपनी आयु, परिवार का विवरण एवं अपना बी०पी०एल० क्रमांक दर्ज करेगा ।

(2) सामान्य सेवा केन्द्र (सी०एस०सी०) का आपरेटर आवेदक के भरे हुए आवेदन पत्र को ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन में प्रस्तुत करेगा । तत्पश्चात उसे रसीद देगा ।

(3) खण्ड विकास अधिकारी ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन में लाग-इन करेगा तथा आवेदन पत्र को आन-लाइन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को जांच हेतु निर्देशित करेगा ।

(4) ग्राम पंचायत विकास अधिकारी आवेदन पत्रों को पंचायत की खुली बैठक में रखेगा तथा पंचायत के प्रस्ताव के साथ ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन में अपलोड करेगा ।

(5) खण्ड विकास अधिकारी संकलित रूप से सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों से आन-लाइन विकलांग पेंशन योजना के आवेदन पत्रों को जांचोपरान्त जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन से आन-लाइन प्रेषित करेगा ।

(6) जिला विकलांग कल्याण अधिकारी लाभार्थियों को ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन पर अद्यावधिक करेगा तथा विकलांग पेंशन वितरण की प्रक्रिया का आरम्भ करेगा ।

नगर क्षेत्र आवेदन :-

(1) आवेदक सी०एस०सी० एवं लोक वाणी सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन द्वारा आन-लाइन आवेदन पत्र उप जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेगा, जिसमें उसकी आयु, परिवार का विवरण एवं बी०पी०एल० क्रमांक भी लिखा होगा ।

(2) उप जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन को लाग-इन करेगा तथा विकलांग पेंशन के आवेदन पत्रों को तहसीलदार को जांच हेतु आन-लाइन प्रेषित करेगा ।

(3) तहसीलदार, कानूनगो/लेखपाल को आवेदन पत्र जांच हेतु आन-लाइन नामित करेगा ।

(4) कानूनगो/लेखपाल द्वारा जांच कर आन-लाइन उक्त आवेदन पत्रों को तहसीलदार को भेजा जायेगा ।

(5) तहसीलदार उक्त आवेदन पत्रों को दैनिक आधार पर अपनी आख्या सहित आन-लाइन उप जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट को भेजेगा ।

(6) उप जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट आवेदन पत्रों के परीक्षण के पश्चात अपनी स्वीकृति अंकित करते हुए आन-लाइन उन्हें जिला विकलांग ~~कल्याण~~ कल्याण अधिकारी को भेजेगा ।

(7) जिला विकलांग कल्याण अधिकारी पेंशनरों की सूची को ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन पर अद्यावधिक करेगा एवं पेंशन वितरण की प्रक्रिया प्रारम्भ करेंगा ।

भवदीय,

शैलेश कृष्ण

(शैलेश कृष्ण)
प्रमुख सचिव ।

संख्या-1284 (1)/65-2-2008-तद्दिनांक

प्रतिलिपि :-

1- निदेशक, विकलांग कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

2- जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, सुल्तानपुर, गोरखपुर, सीतापुर एवं रायबरेली को इस आशय से प्रेषित है कि वे शासनादेश की व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

3-उप निदेशक, विकलांग कल्याण, मेरठ, फैजाबाद, गोरखपुर एवं लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

आज्ञा से,

(राम राज सिंह यादव)
विशेष सचिव ।